अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगस्टर सत्र परीक्षण संख्या–2549/2023
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव अग्रवाल व अन्य

13–08–2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त संजीव अग्रवाल, विकास व सागर, संजय मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अन्य अभियुक्तों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। स्वीकृत।

मामले के अभियुक्त तरूण त्यागी जिला कारागार बुलन्दशहर से पेश किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले के **अभियुक्तगण संजीव कुमार अग्रवाल, विकास शर्मा उर्फ बौबी, राहुल शर्मा उर्फ सोनू, संजय सिंह, राजकुमार, सागर, करन सैनी व रिंकू** के विरूद्ध आरोप दिनांक 25.10.2023 को विरचित हो चुका है।

अभियुक्त **आदेश** के विरूद्ध दिनांक 29.07.2025 को आरोप विरचित किया जा चुका है।

पत्रावली आज अभियुक्त **तरूण त्यागी को जिला कारागार बुलन्दशहर** में निरूद्ध होने के अनुक्रम से आरोप विरचन हेतु नियत है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुनने व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अभियुक्त तरूण त्यागी के विरूद्ध धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट का आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त होने के कारण आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

उपरोक्त तथ्यों तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है।

अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.09.2025 को पेश हो।

अभियोजन साक्षीगण नियत तिथि को जरिये समन तलब हो।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगस्टर सत्र परीक्षण संख्या–2549/2023
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव अग्रवाल व अन्य

धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट
थाना खैर, अलीगढ़
मुकदमा अपराध संख्या–541/2022

आरोप

मैं, संजय कुमार यादव–प्रथम, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), कक्ष संख्या 4, अलीगढ़, एतद्द्वारा आप अभियुक्त **तरूण त्यागी** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ–

यह कि आपने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया है और जनपद अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्रान्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने व अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अनुचित, सांसारिक, आर्थिक, भौतिक लाभ या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित मामलों में समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है।

तरूण त्यागी के विरूद्ध

1–मु0अ0सं0–456/2022 धारा–506, 115 सपठित धारा–302, 120बी, 386 भा0द0सं0 थाना खैर, अलीगढ़

इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम सन् 1986 की धारा 2/3 के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आपको यह निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक 13–08–2025

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक 13–08–2025

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2025.08.13 17:25:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court